284

सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सृजित प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 5000–8000 (संशोधित वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे–4200) के पद पर पदोन्नति हेतु नैत्यिक टिप्पणी।

अवगत कराना है कि शासनादेश सं0–114/ix/543/10/2011 दिनांक 25–04–2011 के अन्तर्गत परिवहन आयुक्त संगठन में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग का स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पुनर्गठन करते हुये सम्भागीय/उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों हेतु प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान 9300–34800, ग्रेड पे–4200) के कुल 39 पद सृजित किये गये हैं।

(2) उत्तराखण्ड लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 2004 के नियम–5 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रशासनिक अधिकारी (पूर्व पदनाम–कार्यालय अधीक्षक, ग्रेड–2) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती का स्रोत सम्भागीय परिवहन कार्यालयों के स्थायी मुख्य सहायकों (वेतनमान 5200–20,200 ग्रेड पे–2800) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति है।

उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 2004 के नियम–16 में निम्न व्यवस्था की गयी है:–

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया निर्धारित है, जिसके अनुसार भर्ती के प्रयोजनार्थ 01 चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

i-	नियुक्ति प्राधिकारी **(परिवहन आयुक्त)**	**अध्यक्ष**
ii-	परिवहन आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी जो **सम्भागीय परिवहन अधिकारी** से निम्न स्तर के न हो	**सदस्य**
iii-	परिवहन आयुक्त द्वारा नाम–निर्दिष्ट कोई अधिकारी जो **सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी** से निम्न पद का न हो **(आरक्षित श्रेणी के)**	**सदस्य**

पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

(2) नियम 16 (2) के अनुसार ज्येष्ठता के कम में अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार की जायेगी और उसे अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिकाओं और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

(3) नियम 16 (3) के अनुसार चयन समिति उपनियम 2 में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) नियम 16 (4) के अनुसार चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के कम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(3) उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के लिये अंतिम रूप से आवंटन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के आदेश संख्या–54/2005 के क्रम में पर्वतीय उपसंवर्ग के अन्तर्गत एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–94/ix/449/09 दिनांक 17–06–09 के द्वारा परिवहन विभाग के अन्तर्गत कार्मिकों का अंतिम आवंटन हो चुका है।

(4) यह भी अवगत कराना है कि कार्मिक अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–170/xxx(2)/2011 दिनांक 01–06–2011 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर **पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011** प्रख्यापित की गयी है। सम्बन्धित नियमावली के **नियम 4** के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सम्बन्धी अर्हकारी सेवावधि का निर्धारण किया गया है। नियम 4 (2) के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी है:–

"मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान किया गया है।"

(5) उक्त नियमावली में दी गई व्यवस्थानुसार सम्बन्धित कार्मिकों को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति किये जाने हेतु शिथिलीकरण का प्रस्ताव कार्यालय के पत्र संख्या–322/अधिष्ठान/दो–125/2011 दिनांक 01–10–2011 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया था। उक्त क्रम में शासन द्वारा शासनादेश संख्या–64/ix/336/2012 दिनांक 03–02–2012 द्वारा सम्बन्धित कार्मिकों को सम्बन्धित पद हेतु

न्यूनतम अर्हकारी सेवा में 50 प्रतिशत् की शिथिलता निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गयी है:–

(1) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पदोन्नति हेतु निर्धारित सेवा अवधि में शिथिलता का लाभ पूर्व में उक्त कार्मिकों को अनुमन्य नहीं हुआ है।

(2) आरक्षित पदों के सापेक्ष आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रोन्नति की दशा में पदोन्नतियां करते समय आदेश में यह स्पष्ट कर दिया जाय कि उक्त आदेश रिट याचिका संख्या–45/2010 विनोद प्रकाश नौटियाल व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे और पदोन्नति के आदेश जिस सीमा तक निर्णय के असंगत होंगे स्वतः ही निरस्त हुए मान लिये जायेंगे।

प्रस्ताव में अंकित प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह कार्मिकों को उनके सम्पूर्ण सेवाकाल में शिथिलता का लाभ प्रथम बार दिया जाना है।

(6) उत्तराखण्ड राज्य में आरक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1455/कार्मिक–2/2001 दिनांक 31–08–2001 के अनुसार पदोन्नतियों में रोस्टर का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार **अनुसूचित जाति** के लिए **19 प्रतिशत** एवं **अनुसूचित जनजाति** के लिए **04 प्रतिशत** आरक्षण की व्यवस्था है। रोस्टर के अनुसार **कमांक 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, व 56 वां पद अनुसूचित जाति** एवं **24 व 48 वां पद अनुसूचित जनजाति** हेतु आरक्षित है।

(7) उपरोक्तानुसार सम्भागीय संवर्ग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रोस्टर के अनुसार कार्यरत कार्मिकों का विवरण निम्नवत् हैं:–

रोस्टर का कमांक	श्रेणी	वर्तमान स्थिति	रोस्टर का कमांक	आरक्षित श्रेणी	वर्तमान स्थिति
2	श्री घनश्याम मणिक	व0प्रशा0अधि0 के पद पर पदोन्नत	1	श्री के0आर0 आर्य	व0प्रशा0अधि0 के पद पर पदोन्नत
3	श्री इन्द्रजीत सिंह	**पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया।**	6	श्री सुशील कुमार निरंजन	–तदैव–
4	श्री दिग्विजय सिंह	व0प्रशा0अधि0 के पद पर पदोन्नत	11	**श्री हरि सिंह**	प्रशा0 अधिकारी
5	श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी	–तदैव–	16	**रिक्त**	
7	श्री मनोज सनवाल	–तदैव–	21	**रिक्त**	
8	श्री राजकुमार	–तदैव–	24	**रिक्त**	
9	श्री अनिल आनन्द	–तदैव–	26	**रिक्त**	

10	श्री आलोक कुमार	–तदैव–			
12	श्री जितेन्द्र ठाकुर	–तदैव–			
13	श्री भवानी दत्त जोशी	–तदैव–			
14	श्री राकेश कुमार	**पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया।**			
15	श्री देवेन्द्र सिंह रावत	**कार्यरत**			
17	श्री अयाज हुसैन	प्रशा0अधिकारी			
18	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	–तदैव–			
19	श्री दीपक शर्मा	–तदैव–			
20	श्री मोहन सिंह चम्याल	–तदैव–			
22	श्री आर0पी0 चमोली	–तदैव–			
23	श्री नीलकंठ जोशी	–तदैव–			
25	कु0 प्रमोद मिश्रा	–तदैव–			
27	श्री दिनेश कुमार वर्मा	–तदैव–			
28	श्रीमती सुरेखा सपालोक	–तदैव–			
29	श्री रमेश चन्द्र सनवाल	–तदैव–			

रोस्टर के अनुसार वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिकों का विवरण निम्नवत् हैः–

रोस्टर का कमांक	सामान्य श्रेणी		रोस्टर का कमांक	आरक्षित श्रेणी
30	श्री सईद अहमद		16	श्री विजयपाल
32	श्रीमती सुषमा चौधरी		21	श्री मोहनलाल
33	श्रीमती संध्या मिश्रा		24	श्रीमती मंगनी हयांकी
34	श्रीमती लक्ष्मी कश्यप		26	**पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं है।**
35	श्री रतन सिंह गुरूंग		31	**–तदैव–**
37	श्री विनोद भट्ट		36	**–तदैव–**
38	श्री दिलवर सिंह गुसाईं		41	**–तदैव–**
39	श्रीमती शान्ति पाण्डेय		46	**–तदैव–**
40	श्रीमती रूक्शाना शम्सी		48	**–तदैव–**
42	**नोटः–यद्यपि श्री यतिन तिवारी सम्भागीय संवर्ग की ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–78 पर श्री हरीश चन्द्र भद्री से ज्येष्ठ हैं, परन्तु उनके विरूद्ध विभागीय जॉच गतिमान होने के कारण मुख्य सहायक के पद पर पदोन्नति सम्बन्धी संस्तुति मुहरबन्द लिफाफे में बन्द है। इस प्रकार श्री तिवारी वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र न होने से कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–1595/कार्मिक–2/2002 दिनांक 13–05–2003 के बिन्दु संख्या–4 में दी**			

	गयी व्यवस्थानुसार रोस्टर के क्रमांक–42 पर अंकित पद रिक्त रहेगा।			
43	श्री मनोज नेगी	17	51	पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
44	श्री जगदीश प्रसाद गैरोला	18	56	–तदैव–
45	श्री भूपेन्द्र सिंह विष्ट			
47	श्री प्रेमदत्त बिजल्वाण			
49	श्री संजीव कुमार मिश्रा			
50	श्री देवेन्द्र सिंह रावत			
52	श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत			
53	श्री कृपाल दत्त जोशी			
54	श्री मुनीश चन्द्र नौड़ियाल			

उपरोक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र संख्या–3042/अधिष्ठान/दो–125/2011 दिनांक 20–09–2011 द्वारा विकल्प मॉगे जाने पर निम्नलिखित मुख्य सहायकों द्वारा परिवहन कर अधिकारी–2 के पद हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत किये गये हैं:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	श्रेणी
1	श्री पान सिंह रावत	सामान्य
2	श्री सुरेश चन्द्र बछेटी	सामान्य
3	श्री हरीश चन्द्र भद्री	सामान्य
4	श्री किशन सिंह नेगी	सामान्य
5	श्री मनोज पाठक	सामान्य
6	श्री रूपेश गढ़वाली	सामान्य
7	श्री श्याम सिंह लटवाल	सामान्य
8	श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	सामान्य
9	श्री रेशम सिंह	अनुसूचित जाति
10	श्री कृष्ण किशोर	अनुसूचित जाति
11	श्री विजय सिंह गुसाईं	सामान्य
12	श्री परमानन्द जखवाल	सामान्य

इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1980 (उत्तराखण्ड राज्य यथा प्रवृत्त) के नियम–5 के उपनियम–3(दो) (ख) में निम्न प्राविधान किया गया है:–

(ख) संभागीय परिवहन कार्यालयों के ऐसे स्थायी प्रधान लिपिकों, प्रधान लिपिक एवं लेखाकार और आशुलेखकों में से जिन्होंने उस रूप में कम से कम पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो:

परन्तु भर्ती यथासम्भव इस प्रकार की जायेगी कि संवर्ग में 50 प्रतिशत् सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा और शेष पदोन्नति किये गये व्यक्तियों द्वारा निम्न प्रकार धृत किये जायं:

(क)	अनुभाग प्रभारी और उप लेखक–प्रालेखक–	15 प्रतिशत्
(ख)	परिवहन आयुक्त के कार्यालय के आशुलेखक–	7 प्रतिशत्
(ग)	प्रधान लिपिक और प्रधान लिपिक एवं लेखाकार–	14 प्रतिशत्
(घ)	संभागीय कार्यालयों के आशुलेखक–	14 प्रतिशत्

यह भी स्पष्ट करना है कि परिवहन कर अधिकारी–2 के पद पर पदोन्नति हेतु विकल्प प्रस्तुत करने वाले कार्मिकों द्वारा उक्त नियमावली में दी गई व्यवस्थानुसार मुख्य सहायक के पद पर न्यूनतम विहित सेवा 05 वर्ष पूर्ण नहीं की गई है और न ही संगत नियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार परिवहन कर अधिकारी–2 के पद पर पदोन्नति हेतु विहित सेवा अवधि 50 प्रतिशत् अर्थात 2.5 वर्ष पूर्ण न होने के कारण शिथिलता प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को प्रेषित् नहीं किया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में समिति विचार कर निर्णय लेना चाहें।

यह भी स्पष्ट करना है कि उत्तराखण्ड परिवहन विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 2004 के नियम–5 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सम्भागीय परिवहन कार्यालयों के स्थायी मुख्य सहायकों की पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी एवं उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1980 के नियम–5 (3) (ख) में दी गई व्यवस्था के अनुसार परिवहन कर अधिकारी–2 के पद पर किये जाने का प्राविधान है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–3042/अधिष्ठान/दो–125/2011 दिनांक 20–09–2011 के माध्यम से वर्तमान में सम्भागीय संवर्ग के मुख्य सहायक के पदों पर कार्यरत सम्बन्धित कार्मिकों से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु विकल्प मॉगे गये थे। सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा उपलब्ध कराये गये विकल्पों का श्रेणीवार विवरण निम्नवत् है:–

(1) अनुसूचित जाति के कार्मिकों का विवरण:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम सर्वश्री	रोस्टर का कमांक	इच्छित विकल्प
1	श्री विजयपाल	16	प्रशासनिक अधिकारी
2	श्री मोहनलाल	21	प्रशासनिक अधिकारी

(2) अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों का विवरणः–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम सर्वश्री	रोस्टर का कमांक	इच्छित विकल्प
1	श्रीमती मंगनी हयांकी	24	प्रशासनिक अधिकारी

(3) अनारक्षित श्रेणी के कार्मिकों का विवरणः–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम सर्वश्री	रोस्टर का कमांक	इच्छित विकल्प
1	श्री सईद अहमद	30	प्रशासनिक अधिकारी
2	श्रीमती सुषमा चौधरी	32	प्रशासनिक अधिकारी
3	श्रीमती संध्या मिश्रा	33	प्रशासनिक अधिकारी
4	श्रीमती लक्ष्मी कश्यप	34	प्रशासनिक अधिकारी
5	श्री रतन सिंह गुरूंग	35	प्रशासनिक अधिकारी
6	श्री विनोद भट्ट	37	प्रशासनिक अधिकारी
7	श्री दिलवर सिंह गुसाईं	38	प्रशासनिक अधिकारी
8	श्रीमती शान्ति पाण्डेय	39	प्रशासनिक अधिकारी
9	श्रीमती रूक्शाना शम्सी	40	प्रशासनिक अधिकारी
10	श्री मनोज नेगी	43	प्रशासनिक अधिकारी
11	श्री जगदीश प्रसाद गैरोला	44	प्रशासनिक अधिकारी
12	श्री भूपेन्द्र सिंह विष्ट	45	प्रशासनिक अधिकारी
13	श्री प्रेमदत्त बिजल्वाण	47	प्रशासनिक अधिकारी
14	श्री संजीव कुमार मिश्रा	49	प्रशासनिक अधिकारी
15	श्री देवेन्द्र सिंह रावत	50	प्रशासनिक अधिकारी
16	श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत	52	प्रशासनिक अधिकारी
17	श्री कृपाल दत्त जोशी	53	प्रशासनिक अधिकारी
18	श्री मुनीश चन्द्र नौड़ियाल	54	प्रशासनिक अधिकारी

(8) उल्लेखनीय है कि सम्भागीय संवर्ग के लिपिक वर्गीय कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची कार्यालयादेश संख्या–2714/अधि0/दो–39/09 दिनांक 09–10–2009 **(पताका–'अ' पर अवलोकनीय)** के द्वारा अंतिम की जा चुकी है।

(9) उपरोक्तानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अनारक्षित श्रेणी के कार्मिकों की चरित्र प्रविष्टियों का वर्षवार विवरण निम्नवत् हैः–

क0 सं0	मुख्य सहायक का नाम सर्वश्री	10–11	09–10	08–09	07–08	06–07	05–06	04–05	03–04	02–03	01–02
1	सईद अहमद	अतिउत्तम	अतिउत्तम	अतिउत्तम	उत्कृष्ट	अतिउत्तम	अतिउत्तम	उत्तम	उत्तम	श्रेष्ठ	उत्कृष्ट
2	सुषमा चौधरी	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	अतिउत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्तम	उत्तम	अतिउत्तम
3	संध्या मिश्रा	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	अच्छा	अच्छा	उत्तम	उत्तम	सन्तोषजनक	उत्तम
4	लक्ष्मी	–	उत्तम	उत्तम	उत्तम	अतिउत्तम	उत्तम	अतिउत्तम	उत्तम	संतोषजनक	उत्तम

	कश्यप										
5	मंगनी हयांकी	उत्तम	उत्तम	उत्तम	अतिउत्तम	अतिउत्तम	उत्तम	अतिउत्तम	उत्तम	उत्कृष्ट	अतिउत्तम
6	रतन सिंह गुरूंग	उत्तम	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	अतिउत्तम	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	अतिउत्तम	सराहनीय
7	विनोद भट्ट	अतिउत्तम	अतिउत्तम	उत्तम	उत्तम	अच्छा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	अतिउत्तम	उत्तम	उत्कृष्ट
8	दिलवर सिंह गुसाईं	अतिउत्तम	उत्तम	अतिउत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्कृष्ट	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम
9	शान्ति पाण्डेय	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	सन्तोषजनक	उत्तम
10	रूक्शाना शम्सी	उत्तम	उत्तम	अतिउत्तम	अतिउत्तम	अतिउत्तम	सामान्य	सामान्य	सामान्य	उत्तम	उत्तम
11	मनोज नेगी	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्कृष्ट	उत्तम	उत्कृष्ट	उत्तम	उत्तम	सन्तोषजनक	उत्तम
12	जगदीश गैरोला	सन्तोषजनक	सन्तोषजनक	सामान्य	सामान्य	सामान्य	निम्न	सामान्य	सामान्य	सामान्य	उत्तम
13	भूपेन्द्र सिंह बिष्ट	उत्तम	उत्तम	अच्छा	अतिउत्तम	उच्चकोटि	उत्तम	उत्तम	अतिउत्तम	अतिउत्तम	उत्कृष्ट
14	प्रेमदत्त बिजल्वाण	उत्तम	उत्तम	अतिउत्तम	उत्कृष्ट	अतिउत्तम	अतिउत्तम	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्तम	उत्तम
15	संजीव कुमार मिश्रा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	अतिउत्तम	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
16	देवेन्द्र सिंह रावत	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	अतिउत्तम	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्तम	सन्तोषजनक	उत्कृष्ट
17	चन्द्रमोहन सिंह रावत	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्कृष्ट	अच्छा	उत्कृष्ट	अतिउत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्कृष्ट
18	कृपाल दत्त जोशी	उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	अच्छा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्तम	उत्तम	उत्तम
19	मुनीश चन्द्र नौड़ियाल	उत्तम	उत्तम	उत्तम	सन्तोषजनक	अच्छा	सामान्य	अच्छा	उत्तम	उत्तम	उत्कृष्ट
20	विजयपाल	उत्तम	उत्तम	अच्छा	उत्कृष्ट	उत्तम	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्तम	उत्कृष्ट	अतिउत्तम
21	मोहनलाल	उत्तम	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्तम	उत्तम	सामान्य	उत्तम	उत्तम	अतिउत्तम	अतिउत्तम

(10) उपरोक्त कार्मिकों के सम्बन्ध में दिनांक 29–02–2012 को सतर्कता अनुभाग से आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है:–

1– क्रमांक–3 पर उल्लिखित श्रीमती सुषमा चौधरी के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या–3409 / सर्तकता / तीन–145 / 2011 दिनांक 15–10–2011 द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी से प्रकरण में आख्या मांगी गयी थी। वॉछित आख्या अभी उपलब्ध नहीं हुयी है।

शासन के पत्र दिनांक CM–27 / ix / 2008 दिनांक 07–10–2008 द्वारा श्रीमती सुषमा चौधरी के सम्बन्ध में प्राप्त मा0 मुख्यमंत्री सन्दर्भ से सम्बन्धित शिकायती प्रकरण पर आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी। शासन द्वारा पुनः अपने अनुस्मारक पत्रों दिनांक 01–01–2009, 06–02–2009, 17–06–2009 एवं 25–02–2010 द्वारा आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी। इस सम्बन्ध में तत्कालीन परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देशों के

अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या–848/सतर्कता/तीन–78/2009 दिनांक 30–03–2009 द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा से प्रकरण में 06 बिन्दुओं पर आख्या मांगी गई थी। वांछित आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्रावली उच्चादेश हेतु सन्दर्भित किये जाने का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त श्रीमती सुषमा चौधरी के विरूद्ध मा0 मुख्यमंत्री सन्दर्भ से सम्बन्धित एक अन्य शिकायत भी कार्यालय को प्राप्त हुई थी। प्रकरण में तीनों शिकायतकर्ताओं द्वारा शपथपत्र में शिकायत की पुष्टि भी की गई थी। पुनः उन्हीं शिकायतकर्ताओं में से दो शिकायतकर्ताओं द्वारा गलती से शपथपत्र दिये जाने का उल्लेख करते हुए उसमें कही गई बातों को गलत बताया गया। इस सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या–3655 दिनांक 25–10–2011 द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी को आवश्यक विधिक कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से अवगत् कराने के निर्देश जारी किये गये थे। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कोई सूचना प्राप्त न होने का उल्लेख किया गया है।

2– क्रमांक–5 पर उल्लिखित श्रीमती लक्ष्मी कश्यप को सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी द्वारा दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि के प्रकरण में प्रतिकूल प्रविष्टि पर अपर परिवहन आयुक्त महोदय की स्वीकृति एवं प्रकरण में अन्य बिन्दुओं पर जॉच हेतु पत्रावली अपर परिवहन आयुक्त महोदय को सन्दर्भित किये जाने का उल्लेख किया गया है।

3– क्रमांक–9 पर उल्लिखित श्री विनोद भट्ट के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या–4347/सा0प्रशा0/तीन–विविध/2007 दिनांक 01–05–2007 द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून को जांच कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक–5422 दिनांक 19–10–2011 द्वारा आख्या उपलब्ध कराई गई है। पत्रावली (संख्या–तीन/विविध) उच्चादेश हेतु सन्दर्भित किये जाने का उल्लेख किया गया है।

4– क्रमांक–23 पर श्री प्रेमदत्त बिजल्वाण एवं क्रमांक–27 पर श्री देवेन्द्र सिंह रावत को सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा अपने कार्यालयादेश

संख्या–605/यात्रा–2009/जॉच–आख्या/2009 दिनांक 23–06–2009 द्वारा उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश द्वारा ग्रीन कार्ड जारी करने में अनियमिततायें किये जाने के प्रकरण में बरती गई लापरवाही पर चेतावनी जारी करते हुए भविष्य के लिए सचेत किया गया है।

5– क्रमांक–25 पर श्री संजीव मिश्रा के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री के पृष्ठांकन संख्या–जीई/5241/xxxv/2011(1) द्वारा शिकायत के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या–2743/सतर्कता/तीन–135/2011 दिनांक 23–08–2011 द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून को प्रकरण में कृत कार्यवाही से अवगत् कराने के निर्देश दिये गये थे। वॉछित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

6– क्रमांक–27 पर श्री देवेन्द्र रावत एवं कमांक 9 पर श्री विनोद भट्ट के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या–4347/सा0प्रशा0/तीन–विविध/ 2007 दिनांक 01–05–2007 द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून को जॉच कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। इसके पश्चात् भी समय–समय पर वॉछित आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक–5422 दिनांक 19–10–2011 द्वारा आख्या उपलब्ध कराई गई है। पत्रावली (संख्या–तीन/विविध) उच्चादेश हेतु सन्दर्भित है।

श्री देवेन्द्र रावत के लम्बी अवधि तक ऋषिकेश कार्यालय में तैनात रहने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उस शिकायत पर शासन द्वारा विभाग में 05 वर्ष से एक ही कार्यालय में तैनात कार्मिकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, जो इस कार्यालय के पत्र संख्या–30/सतर्कता/तीन–137/2011 दिनांक 07–02–2011 द्वारा शासन को प्रेषित् की गई है।

(11) उपरोक्त के अतिरिक्त नियुक्ति/पदोन्नति पर तैनाती/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2011 की धारा–18 में निम्न प्रक्रिया दी गयी है:–

1– अधिनियम की धारा–18(2) के अनुसार पदोन्नति पर तैनाती दुर्गम क्षेत्र में किये जाने की व्यवस्था दी गई है, किन्तु वरिष्ठ कार्मिक, दुर्गम क्षेत्र में पूर्व में ही 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कार्मिक एवं गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिक के लिए उक्त व्यवस्था वाध्यकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त दुर्गम क्षेत्र में

पदोन्नति का पद विद्यमान/रिक्त न हो तो ऐसी दशा में भी पदोन्नति पर दुर्गम क्षेत्र में तैनाती वाध्यकारी नहीं होगी, परन्तु ऐसे कार्मिक के सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र होने पर उन्हें अगले सामान्य/वार्षिक स्थानान्तरण के अवसर पर दुर्गम क्षेत्र में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष अनिवार्य रूप से स्थानान्तरण किया जायेगा।

2– अधिनियम की धारा–18(4) के अनुसार गम्भीर शिकायत, उच्चाधिकारियों से दुर्व्यवहार अथवा कार्य के प्रति अरूचि के आधार पर जांच एवं आवश्यक पुष्टि के उपरान्त प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण की व्यवस्था की गई है और ऐसे स्थानान्तरण आदेश में प्रशासनिक आधार को स्पष्ट अंकित किया जाना है। प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण सुगम से सुगम अथवा दुर्गम से सुगम क्षेत्र में कदापि न किये जाने के साथ सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से दुर्गम किये जाने की व्यवस्था दी गई है।

3– अधिनियम की धारा–18(5) के अनुसार वार्षिक स्थानान्तरण से भिन्न अवधि/स्थिति में किये जाने वाले उपरोक्त प्रकृति के स्थानान्तरण/तैनातियॉ सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा किये जायेंगे। इसके लिए किसी स्थानान्तरण समिति की संस्तुति नहीं होगी, किन्तु प्रशासनिक आधार पर किये जाने वाले स्थानान्तरण के लिए सक्षम प्राधिकारी के एक स्तर ऊपर के अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(12) उपरोक्त के अतिरिक्त नियुक्ति/पदोन्नति पर तैनाती/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2011 की धारा–17 की उपधारा–2(घ) में सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया है:–

सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पद धारित करने की तिथि से पद पर बने रहने अथवा 02 वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, तक की अवधि में नहीं किये जा सकेंगे, परन्तु इस अधिनियम के शेष प्राविधान उन पर भी यथावत लागू रहने का उल्लेख किया गया है।

अतः सन्दर्भित प्रकरण में समिति विचार कर निर्णय लेना चाहें।

24/3/12
नवीन चन्द्र मैठाणी
प्रशासनिक अधिकारी

24/03/12
मोहन लाल
मुख्य सहायक

24/3
(आर० एस० राना)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
मुख्यालय